



क्षेत्रीय कार्यालय  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-155/

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोविन्द राम बरिया एवं श्री रंगलाल बैरवा रेफरेंस संख्या 2019100008648 ग्राम रूपाहेली द्वारा रूपाहेली, राजपुरा एवं सिन्दोलिया ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस संख्या/खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री गोविन्द राम बरिया एवं श्री रंगलाल बैरवा खसरा संख्या 02/01	2019100008648	1.0002	रूपाहेली	ग्रेनाईट	111956
2	श्री जगदीश मेघवाल	20201000017910	2.2886	राजपुरा	ग्रेनाईट	144178
3	मैसर्स डी.बी. ग्रेनाईट	20201000021172	1.0039	सिन्दोलिया	ग्रेनाईट	84016
4	श्री विनोद कुमारा सेवकरमानी	2019100008849	1.6778	सिन्दोलिया	ग्रेनाईट	188664
5	श्री कालुराम खटीक	2019100005219	2.0	रूपाहेली	ग्रेनाईट	207480
6	मैसर्स देव ग्रेनाईट स्टोन	2019100009068	1.8008	रूपाहेली	ग्रेनाईट	163564
7	श्री रामकुमार कौशल एवं श्री विमल कुमार राठी	20201000023113	1.0127	रूपाहेली	ग्रेनाईट	102480
8	मैसर्स विनायक मिनरल्स	201810000639	1.1623	रूपाहेली	ग्रेनाईट	92718
9	मैसर्स धरतीधन स्टोन	2018100001701	1.5540	रूपाहेली	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	205772
10	श्रीमती ललिता जैन	20191000012798	1.0396	रूपाहेली	ग्रेनाईट	135408

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.5399 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-1435696 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम रूपाहेली, राजपुरा एवं सिन्दोलिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री गोविन्द राम बरिया एवं श्री रंगलाल बैरवा रेफरेंस संख्या 2019100008648 ग्राम रूपाहेली ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण/2022/1208 दिनांक 07.03.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 29/04/2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तँवर)  
पर्यावरण अभियंता  
एवं क्षेत्रीय अधिकारी